

3-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
ग्राम पंचायत रानीपुरा पर प्रस्तुत  
हुमी वादी / पार्थी उपास्थित / प्रमिवादी गण  
की ओर से कोई भी उपास्थित नहीं  
है। वाद वादी डिस्ट्री किया जा  
चुका है। इस प्रार्थना पत्र के चलते  
का कोई ओरियण नहीं है अन्य प्रार्थना  
पत्र आन्ध्राई निषेधाज्ञा खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फॉसिल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो तथा शामिल  
शुल्क वाद हो।

उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टॉक